

अज अदालत जिला कलक्टर सीकर

मोहम्मद शकील

बनाम

दड़की वगैरहा

मुकदमा नम्बर11.../2019

किरम मुकदमा अपील 225 आर.टी. एक्ट

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तारीख में जारी हुए
26-3-19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील श्री सांवरमल उपस्थित। यह अपील तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 29.01.2019 के विरुद्ध पेश की गई है। वहस प्रार्थना-पत्र एकतरफा सुनी गई।</p> <p>वकील अपीलान्त की कथन है कि खसरा नम्बर 832 रकबा 1.01 हैक्टेयर वाकै ग्राम जगमालपुरा तहसील सीकर में छोटे-छोटे आवासीय भूखण्ड बने हुए हैं, जिसकी पुष्टि तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 20.05.2010 से होती है। प्रकरण न्यायालय हाजा से रिमाण्ड होने पर तहसीलदार सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 29.01.2019 में भूखण्डधारियों को अतिक्रमी मानकर अतिक्रमण से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित नहीं है। भूखण्डधारी वर्षों से उक्त भूमि पर आवासीय भवन निर्माण कर निवास करते आ रहे हैं। अतः तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 29.01.2019 की क्रियान्विति पर रोक लगाई जावे।</p> <p>हमने वकील अपीलान्त की वहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या विदित होता है कि उक्त भूमि पर कुछ आवासीय परिसर निर्मित हैं तथा शेष कुछ भूखण्ड खाली पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 832 रकबा 1.01 हैक्टेयर वाकै ग्राम जगमालपुरा तहसील सीकर के मौके की यथास्थिति आगामी आदेशों तक बनाये रखें।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.5.19 को पेश हो।</p>	
4.4.19	<p>मिशाल तलाकी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेश की। अपीलान्त के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहवन से अपीलान्त का नाम गलत टंकित है जोने के कारण अपील विद्वा किये जाने की अपील की है। प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। अपील विद्वा होने से रवायिन की जाती है। पत्रावली फैसल शुभा होकर नम्बर 18 कम हो।</p>	<p>जिला कलक्टर, सीकर</p> <p>जिला कलक्टर, सीकर</p> <p>मिशाल तलाकी</p> <p>18/4/19</p> <p>जिला कलक्टर, सीकर</p>